कार्यालय हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार ।

पत्रांक 2173 /प्रशा0 2(क)–22 /07 /2018–19 दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

मानचित्र स्वीकृति संबंधित प्रक्रियाओं की सरलीकरण के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में दिनांक 21.12.2018 बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी संबंधितों सहित संयुक्त सचिव, शाखा कार्यालय रूड़की द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, जिसका कार्यवृत संख्या–2157 दिनांक 27.12.2018 निर्गत किया गया है, के क्रम में निम्नवत् आदेश किये जाते हैः–

1. प्राधिकरण में मानचित्रों की स्वीकृति उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 में विहित प्राविधानों के अनुसार प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत आवास विभाग हेतु अधिसूचित सेवाओं के अन्तर्गत आवासीय भवनों का मानचित्र 15 दिवस के अन्तर्गत तथा व्यवसायिक भवनों के मानचित्र 60 दिवस के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है । अतः सभी संबंधित को निदेशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । विलम्ब की दशा में संबंधित दोषी माने जायेगें ।
2. प्रायः यह देखा जा रहा है कि मानचित्रों के आवेदन पत्र में पत्र व्यवहार हेतु प्रस्तुत ई0–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष संख्या मानचित्र तैयार करने वाले नक्शानवीस का होता है, जिस कारण आवेदक /भू–स्वामी को मानचित्र संबंधित कार्यवाही का ज्ञान नही हो पाता है, जिस कारण मानचित्र आवेदक भ्रम की स्थिति में रहते है । अतः इस संबंध में मानचित्रकार एवं आवेदक / भू–स्वामी द्वारा प्रस्तुत संयुक्त शपथ पत्र में आवेदक /भू–स्वामी के सम्पूर्ण पते के साथ उनका दूरभाष संख्या भी अंकित कराया जाये तथा इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि मानचित्र संबंधी कार्यवाही की जानकारी आवेदक /भू–स्वामी को हो सके ।
3. यह भी देखा जा रहा है कि मानचित्र से संबंधित आपत्तियों की सूचना विभिन्न स्तरों से पृथक–2 दी जा रही है, जो अनुचित है तथा इस कारण मानचित्र निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । अतः मानचित्र संबंधित समस्त आपत्तियों की सूचना पृथक–2 प्रेषित न करते हुए एक बार में ही सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जायें ।

सचिव
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

4. मानचित्र से संबंधित आपत्तियों की सूचना में आवेदक को आपत्तियों के निराकरण हेतु समय सीमा का निर्धारण नही किया जा रहा है, जिस कारण तकनीकी रूप से मानचित्र की स्थिति लम्बित की दशा में रहती है, जो उचित नहीं है । अतः आपत्तियाँ सूचित करते समय आपत्तियों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित की जाये तथा यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाये कि यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत आपत्तियों के निराकरण करते हुए उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में मानचित्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा ।
5. भवन उपविधि में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार 01 वर्ष के अन्दर यदि आवेदक द्वारा आपत्तियों के निराकरण करते हुए पुनः आवेदन प्रस्तुत करते है तो ऐसी दशा में नियमानुसार पत्रावली पुर्नस्थापना शुल्क आरोपित किया जायें ।

उक्त आदेशों का सभी संबंधित कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से पत्रावली के निस्तारण में विलम्ब किया जाता है तो ऐसी दशा में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

सचिव,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः-

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ / सूचनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव, रूड़की / ऋषिकेश / लक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य वित्त अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता को अनुपालनार्थ ।
4. समस्त सहायक अभियन्ता /समस्त अवर अभियन्ता को अनुपालनार्थ ।
5. प्रशासनिक अधिकारी /समस्त मानचित्र लिपिक को अनुपालनार्थ ।
6. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस निर्देश के साथ कि इस आदेश का प्रसारण प्राधिकरण की वेव साईड पर तथा मानचित्र स्वीकृति के पोर्टल पर इस प्रकार प्रकाशित किया जाये कि उसका भली–भॉति अध्ययन मानचित्रकार एवं आवेदक /भू–स्वामी द्वारा किया जा सकें ।
7. मुख्यालय /शाखा कार्यालय रूड़की, ऋषिकेश एवं लक्सर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

28/12/18
सचिव
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार